<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 13/08/2015 को आयोजित 126वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 126वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री के.वी.राममूर्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डॉ. आलोक पाण्डे, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अखिल अरोड़ा, सचिव, आयोजना व सूचना एवं प्रोघौगिकी, राजस्थान सरकार, श्री राजीव सिंह ठाकुर, सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार, श्री रोहित कुमार, सचिव, आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग एण्ड निदेशक ई.जी.एस., राजस्थान सरकार, श्री अम्बरीश कुमार, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री अर्णव रॉय, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमति सरिता अरोरा मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। (संलग्न सूची के अनुसार)

संयोजक, एस.एल.बी.सी., राजस्थान श्री आर.के.गुप्ता द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया ।

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैठक के अध्यक्ष श्री के.वी.राममूर्ती ने अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी., राजस्थान एक सक्रिय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है जो कि बैंकों तथा विभिन्न हितग्राहियों के सक्रिय सहयोग से सम्भव हो पाया है। उन्होनें राज्य में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स यथा बैंक जमाएं, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण, कृषि, वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति, CD Ratio, कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण इत्यादि के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। उनके उद्बोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- ✓ राज्य में CD Ratio लगातार 90% से अधिक रहा है, हालांकि पिछले कुछ तिमाही से इसमें कमी देखी जा रही है। जिन जिलों में CD Ratio 50% से कम है, वहॉ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- ✓ कुल बैंक व्यवसाय 15.38% वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि के साथ रू. 4,86,659 करोड़ रहा है जो कि corresponding अवधि में Industry Average से ज्यादा रहा है।
- ✓ कुल बैंक जमाएं 16.30% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रू. 2,58,282 करोड़ रहीं हैं।
- ✓ कुल अग्रिम 14.36% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रू. 2,28,377 करोड़ रहें हैं।
- ✓ कृषि अंतर्गत निवेश ऋण तथा पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों हेतु ऋण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

- ✓ वित्तीय समावेशन अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियांवयन में बैंकों की भूमिका की सराहना करते हुए निम्न बिन्दुओं पर विशेष काम किये जाने की आवश्यकता दर्शाई गई:-
    - शून्य बैलेंस खातों में निधिकरण (Funding)
    - प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत खोले गये खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत करना।
    - प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत खोले गये खातों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत किये गये नामांकन के अंतर को कम करना।
    - बी.सी. लोकेशन की सक्रियता सुनिश्चित करना।

अध्यक्ष महोदय ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये गये अभियान "सुरक्षा बन्धन" से सदन को अवगत करवाते हुए बैंकों से इस बाबत एक तंत्र (Mechanism) तैयार करने तथा बैंकों से विशेष आउटरीच ड्राइव आयोजित कर जनप्रतिनिधियों, लोकसंगठनों, संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ने हेतु आव्हान किया ताकि "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" या / अथवा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम में कवर किया जा सके तथा "सुरक्षा बन्धन" अभियान को सफल बनाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन के सतत लाभों की गॉवों / उप सेवा क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु बैंक शाखाओं तथा गॉवों / उप सेवा क्षेत्रों के मध्य Human Bridge की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही बताया कि गॉवों में किसान क्लब, बैंक मित्र इत्यादि उक्त Human Bridge के रूप में अच्छा कार्य कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य में बैंकों द्वारा वसुली हेतु किये जा रहे प्रयास काफी सराहनीय है जिसके कारण वसुली स्थिति काफी अच्छी है किंतु सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए. स्तर को देखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही उन्होनें सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा सुरक्षित परिसम्पत्तियों (Secured Assets) का कब्जा प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन स्तर से वांछित सहयोग हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया। उन्होनें बैंक ऋण से सम्बन्धित धोखाधडी के मामलों में एफ.आई.आर. / शिकायत दर्ज करने में पुलिस विभाग स्तर से वांछित सहयोग हेतु भी राज्य सरकार से अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि शिक्षा ऋण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है व इस हेतु बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को और बल देने की आवश्यकता है। उन्होने एम.एस.एम.ई. अंतर्गत ऋण प्रवाह में बढोतरी हेतु बैंकों से आव्हान करते हुए बताया कि कुल 4.77 लाख इकाईयां गैर कृषिगत गतिविधियों में संलग्न है व इन इकाईयों को ऋण प्रवाह में सम्मिलित कर एम.एस.एम.ई. ऋण प्रवाह में अच्छी बढ़ोतरी हासिल की जा सकती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना प्रारम्भ की गई है।

अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

इसके पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गयी ।

<u>एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1)</u> विगत 125वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य में वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक साख योजनांतर्गत एम.एस.ई. सेक्टर हेतु निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2014-15 में एम.एस.ई. सेक्टर अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि से भी कम रखे जाने का 125वीं बैठक के दौरान उठाये जाने का मुद्दा कार्यवृत्त में शामिल नही किये जाना इंगित किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा वार्षिक साख योजनांतर्गत एम.एस.ई. हेतु लक्ष्य संशोधन से सम्बन्धित मुद्दा चर्चा हेतु सदन के सम्मुख 126वीं बैठक में रखे जाने से अवगत करवाया।

<u>एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

1. **आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में लगाये गये बैंक मित्र / कियोस्क की पूर्ण सूचनाएं यथा नाम, मोबाईल नम्बर, पता इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु :-**

सदन को बताया गया कि राज्य में चिन्हित किये गए सभी 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA) बैंक शाखा / बी.सी. / मोबाईल वैन के माध्यम से कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 7408 उप-सेवा क्षेत्र बी.सी. द्वारा कवर किये गये हैं।
बी.सी. द्वारा कवर 7408 उप-सेवा क्षेत्रों के सापेक्ष 7162 बी.सी. की सूचना प्राप्त हुई है। शेष 246 बी.सी. की सूचना निम्नानुसार प्राप्त होना बाकी है।
BRKGB- 2, PNB-95, SBBJ-95, UCO Bank-31, RMGB-10, Allahabad Bank-12, Kotak (ING Vysya Bank)-01

डॉ. आलोक पाण्डे, निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होने बैंकों को बी.सी. से सम्बन्धित सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही एस.एल.बी.सी. को निर्देशित किया गया कि जिन बैंकों से बी.सी. की सूचना प्राप्त नही होती है, **उनके उप सेवा क्षेत्र कवर नही माने जायें तथा इसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्रेषित की जायें**।

(कार्यवाही - BRKGB, PNB, SBBJ, UCO Bank, RMGB, Allahabad Bank, Kotak Bank)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा श्री अखिल अरोड़ा, सचिव, आयोजना व सूचना एवं प्रोघौगिकी, राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव महोदय के साथ आवश्यक मिटिंग प्रस्तावित होने तथा व इस हेतु उनके पास समय अभाव को देखते हुए कार्यबिन्दुओं पर हो रही चर्चा को बीच में रोकते हुए उन्हे मार्गदर्शन तथा राज्य सरकार की अपेक्षाओं से सदन को अवगत करवाने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री अखिल अरोड़ा, सचिव, आयोजना व सूचना एवं प्रोद्यौगिकी, राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा क्रियांवित भामाशाह योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्रियांवित जन-धन योजना के क्रियांवयन में बैंकों एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होने बताया कि लाभार्थियों के खातें खोले जाकर योजनाओं के तहत कवर किया जा चुका है तथा उक्त कवरेज को काम में लेने (Utilize) की आवश्यकता दर्शाई। इस सम्बन्ध में उन्होने अगस्त माह में राज्य सरकार स्तर से सभी जिला क्लेक्टर्स को बैंकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किये जाने के बारे में सूचित किया जिससे कि उक्त बैंक खातें सक्रिय (Activate) रखे जा सकें। साथ ही उन्होनें बैंकों द्वारा जारी किये गये रूपे कार्ड के एक्टिवेशन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने बैंकों से खोले गये खाते में लेन-देन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों / खाताधारकों को प्रेरित करने हेतु अनुरोध किया।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है तथा इस हेतु देय कमीशन बैंकों तथा बी.सी. को उपलब्ध करवाया जायेगा जिससे कि बी.सी. लोकेशन की व्यवहार्यता (Viability) की समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी, लेकिन इसके लिए बैंक खातों की सक्रियता आवश्यक है। उन्होने राज्य सरकार स्तर से किये जा रहे प्रयासों से सदन को अवगत करवाते हुए बताया कि दोनो योजनाओं में प्रतिवर्ष लगभग रूपये 7500 करोड की निधि प्रवाह (अंतरित) की जा रही है। उन्होने नरेगा स्कीम के अंतर्गत 40% से ज्यादा आधार सीडिंग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के अंतर्गत 35% से ज्यादा आधार सीडिंग तथा 25 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोले जाने के बारे में अवगत करवाया। साथ ही उन्होने बताया कि DBT में और भी योजनाएं जोडी जा रही हैं। इनके निधि प्रवाह अंतरण से निश्चय ही बी.सी. लोकेशन की व्यवहार्यता में काफी सहायता मिलेगी।

उन्होने बताया कि बैंकों तथा अन्य हितग्राहियों के सक्रिय सहयोग से राज्य में रूपे कार्ड को Co-brand किया जाना सम्भव हो सका है तथा बैंको द्वारा Co-branded रूपे कार्ड जारी किये जा रहे हैं हालांकि कुछ बैंकों का अभी भी इस प्लेटफॉर्म पर आना बाकी हैं।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि कोटा सम्भाग में एक राज्य स्तरीय वृहद कार्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 01 सितम्बर से 07 सितम्बर के मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कर-कमलों से प्रस्तावित है जिसके दौरान बैंकों द्वारा किये प्रयासों को highlight / show case किया जायेगा। सभी Co-branded रूपे कार्ड का कोलाज के रूप में प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान एक गतिविधि प्रस्तावित रहेगी।

उन्होनें बी.सी. लोकेशन की सक्रियता (Activation) के लिए बैंकों तथा अपनी टीम से सहयोग करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही बताया कि कुछ हिस्सों में अभी भी बी.सी. / माइक्रो ए.टी.एम सक्रिय नही है। साथ ही उन्होने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से बैंक सॉफ्टवेयर के प्रणालीगत (Systemic) लिंकेज के साथ भामाशाह सॉफ्टवेयर के एकीकरण (Integration) हेतु अनुरोध किया जिससे बी.सी. कार्यप्रणाली की एक सही रूप रेखा परिलक्षित हो सकेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के मद्देनजर उन्होने मौजूदा तंत्र यथा बैंक, जिला प्रशासन के सहयोग से बी.सी. तथा खातों के एक्टिवेशन हेतु पुनः जोर दिया। उन्होने बी.सी. की कार्यक्षमता निर्माण (Capacity Building) की सतत आवश्यकता पर बल दिया

इसके लिए बी.सी. को समुचित प्रशिक्षण अनिवार्य है। साथ ही उन्होने बताया कि राज्य सरकार स्तर के बी.सी. Infrastructure जो कि ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध है वहॉ प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय स्तर से आयोजित किये जा सकते हैं|

उन्होने बताया कि राज्य सरकार स्तर से आधार सम्बन्धित विभिन्न डाटाबेस यथा भामाशाह, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा इत्यादि में सीडिंग की स्थिति बैंकों से साझा (Share) की जा रही है ताकि बैंक स्तर से लाभार्थियों के खाते में आधार सीडिंग की जा सके एवं बी.सी. इन खातों में लेन-देन करने की स्थिति मे आ सकें। किंतु रूपे कार्ड वितरण / एक्टिवेशन, आधार सीडिंग नही होने की दशा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व जब तक इस ओर ध्यान नही दिया जायेगा तब तक लाभार्थी को वास्तविक लाभ प्राप्त नही होंगे।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि राज्य में 3 प्रमुख बैंकों के साथ माइक्रो ए.टी.एम. लगाने हेतु करार किया गया है तथा एक बैंक द्वारा सक्रियता से कार्य करते हुए 8 से 9 हजार माइक्रो ए.टी.एम. की आपूर्ति कर दी गई है। उन्होने बाकी दोनों बैंकों से इस बाबत दिनांक 01 सितम्बर तक आपूर्ति हेतु अनुरोध किया।

उन्होने बताया कि बैंकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विधानसभा में राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में 500 शाखाएं खोले जाने की घोषणा की गई है। उन्होने बैंकों से शाखा विस्तार से सम्बन्धित प्लॉन साझा करने हेतु अनुरोध किया।

उन्होने बताया कि सुदूर गॉवों में भवन / शाखा परिसर या क्नेक्टिविटी से सम्बन्धित कोई भी मुद्दा जहॉ बैंक को राज्य सरकार से सहयोग की आवश्यकता है, राज्य सरकार स्तर से राजनेट के माध्यम से वी-सेट के द्वारा क्नेक्टिविटी सहित शाखा परिसर मात्र एक रूपये की टोकन राशि प्राप्त कर लीज पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। बैंक इसका सुविधा का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकते है।

इस पर **कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** एवं बैठक के अध्यक्ष श्री के.वी.राममूर्ती द्वारा सदन से अनुरोध किया गया कि राज्य स्तर से खातों के एक्टिवेशन, बी.सी. कार्यपद्धति, रूपे कार्ड एक्टिवेशन इत्यादि से सम्बन्धित जो आव्हान किया गया है वो बैंकों के लिए हितकारी है तथा बैंकों को आगे बढ़कर इस हेतु समुचित कदम उठाने चाहिये। राज्य सरकार द्वारा नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा अन्य योजनाओं में निधि अंतरण किया जा रहा है उससे आखिर में बैंक खातों में ही लेन-देन बढेगा, निष्क्रिय खातों की संख्या में कमी होगी तथा आधार सीडिंग एवं रूपे कार्ड वितरण की दशा में लाभार्थी बी.सी. लोकेशन पर बी.सी. / माइक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान प्राप्त कर सकेगा तथा इससे बी.सी. स्थिरता (Sustainability) बढ़ेगी। उन्होने बैंकों की तरफ से इस दिशा में सकारात्मक कार्य हेतु राज्य सरकार को आश्वस्त किया।

आयुक्त मनरेगा, श्री रोहित कुमार, राजस्थान सरकार ने सदन को अवगत करवाया कि मनरेगा योजना के तहत लगभग रू. 3500 करोड़ की निधि बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। पोस्ट ऑफिस तथा अधिकांश सहकारी बैंकों के खाते सी.बी.एस. सक्षम (enabled) नही होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस तथा सहकारी बैंकों से उक्त खाते सी.बी.एस. सक्षम राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों में अंतरित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तथा बैंकों के समक्ष व्यवसाय वृद्धि हेतु यह एक सुनहरा अवसर है।

उन्होने बताया कि जैसा कि वित्तीय समावेशन अंतर्गत बैंकों को लाभार्थियों / खाताधारकों को उनके Door step पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवानी है। बैंक शाखाएं 10-15 कि.मी. दूर होने के कारण मनरेगा लाभार्थियों को अपना काम छोड़ कर मजदूरी का नुकसान कर बैंकों में भुगतान हेतु जाना पड़ता है। किंतु बी.सी., माइक्रो ए.टी.एम. इत्यादि से उन्हे ग्राम पंचायत मुख्यालय / गॉव में ही मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो सकेगा।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा पोस्ट ऑफिस व सहकारी बैंकों से खाते अंतरण (Shift) करने के सम्बन्ध में सम्पर्क सूत्रों की जानकारी देने हेतु अनुरोध किया गया ताकि उनसे सम्पर्क कर खाते खुलवाने की कार्यवाही अमल की जा सके।

सचिव, आयोजना व सूचना एवं प्रोघौगिकी, राजस्थान सरकार ने बताया कि खाते अंतरण (Shift) करने के सम्बन्ध में लाभार्थी अपनी सुविधानुसार बैंक का चयन करने हेतु स्वतंत्र हैं। साथ ही उन्होने सूचित किया कि जिला स्तर पर जिलाधीश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी / SDO, सूचना, प्रोघौगिकी एवं आयोजना के कर्मचारी सम्पर्क सूत्र रहेंगें तथा राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग सम्पर्क सूत्र रहेंगें। उन्होने बताया कि उनके टीम सदस्य संयुक्त सचिव (संस्थागत वित्त) श्री भगवान सहाय जाट एवं सहायक निदेशक (UID) श्री हंसराज यादव से इस बाबत सम्पर्क किया जा सकता है।

आयुक्त मनरेगा, श्री रोहित कुमार, राजस्थान सरकार ने बताया कि मनरेगा लाभार्थियों के सम्बन्ध में उनका विभाग पूर्ण सूचना उपलब्ध करवा देगा। इस सम्बन्ध में जिला क्लेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में शिविरों का आयोजन प्रस्तावित है। बैंक इनसे सम्पर्क कर शिविर आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार कर सकते हैं तथा शिविरों के दौरान ग्राम सेवक, रोजगार सहायक लाभार्थियों के बैंक खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र तैयार करने तथा अन्य कार्यों में बैंक की पूर्ण सहायता करेंगें तथा 31 अगस्त तक इस हेतु विशेष शिविर लगाये जाने है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि नाबार्ड द्वारा देश के सभी सहकारी बैंकों को सी.बी.एस. सक्षम (enabled) किया जा चुका है व इस सम्बन्ध में सूचना संग्रहण का कार्य जारी है। उन्होने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा खाताधारकों को शीघ्र ही KCC रूपे कार्ड सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी। साथ ही नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को ए.टी.एम. तथा बी.सी. हेतु अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। उन्होने राज्य सरकार से सहकारी बैंकों से खाते अंतरण (Shift) नही किये जाने हेतु अनुरोध किया।

प्रत्युतर में **सचिव, आयोजना व सूचना एवं प्रोघौगिकी, राजस्थान सरकार** द्वारा सूचित किया गया कि यघपि सहकारी बैंकों को सी.बी.एस. सक्षम बनाया जा चुका है किंतु PACS / LAMPS जिन्हे लोकल मिनी बैंक कह सकते है, उनके खाते अभी तक Migrate नही किये गये हैं तथा वित्तीय समावेशन गेटवे स्थापित (Install) नही हुआ है जिसके कारण बी.सी. तथा माइक्रो ए.टी.एम. कार्य नही कर सकते हैं। उन्होने बताया कि राज्य सरकार भी सहकारी बैंकों की स्थिति के बारे में चिंतित है तथा उनका प्रोघौगिकी विभाग उनके एफ.आई. गेटवे हेतु कार्य कर रहा है जो कि लगभग एक महिने में क्रियाशील होने की उम्मीद है।

2. ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना:

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 4086 बैंक शाखाओं में से 3120 शाखाओं (76.36%), अन्य वाणिज्यिक बैंक की 848 शाखाओं में से 703 शाखाओं (82.90%), ग्रामीण बैंकों की 1316 शाखाओं में से 10 शाखाओं (0.76%), सहकारी बैंकों की 605 शाखाओं में से 01 शाखा (0.17%) में ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है।

डॉ. आलोक पाण्डे, निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि उक्त डाटा गलत प्रतीत होता है। उन्होने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा 2013 के यूनियन बजट में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक बैंक शाखा के साथ ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किया जाना है व इस तरह के 34000 स्थल (Site) चिन्हित किये गये थे जिनमें से बैंकों द्वारा 31000 ए.टी.एम. स्थापित कर दिये गये तथा केवल राजस्थान में उक्त गैप होना सम्भव प्रतीत नही होता है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंकों से उनके द्वारा प्रेषित डाटा पुनः चैक करने तथा विसंगति पाये जाने की स्थिति में सही रिपोर्ट तुरंत प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने जिन बैंकों में अंतर काफी ज्यादा है उन्हे स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि 134 शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किये जाने बाकी है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने के बारे मे सूचित किया गया। उन्होने बताया कि विक्रेता (Vendors) द्वारा आपूर्ति नही की जा रही है तथा जल्द ही सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. की स्थापना सुनिश्चित कर ली जायेगी।

सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. की उपलब्धता के बारे में तथा इस सम्बन्ध में संशोधित डाटा एस.एल.बी.सी. को शीघ्र ही प्रेषित करने के बारे में अवगत करवाया।

प्रतिनिधि, यूको बैंक ने सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. की उपलब्धता के बारे में तथा इस सम्बन्ध में संशोधित डाटा एस.एल.बी.सी. को शीघ्र ही प्रेषित करने के बारे में अवगत करवाया।

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने 170 शाखाओं के सापेक्ष 104 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किये जाने से सदन को अवगत करवाया तथा बताया कि उनके बैंक में ए.टी.एम. स्थापित करने की प्रक्रिया केन्द्रीयकृत है व बची हुई शाखाओं में शीघ्र ए.टी.एम. स्थापना हेतु केन्द्रीय कार्यालय को उनके स्तर से अनुरोध किया जायेगा।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने आगामी बैठकों में इस तरह के मुद्दों में तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट एजेण्डा बिन्दु में रखे जाने हेतु अनुरोध किया जिससे कि तिमाही में हुई प्रगति के आधार पर मामले में समीक्षा की जा सके। साथ ही उन्होने ग्रामीण बैंकों की प्रगति नगण्य होने पर चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामीण बैंकों से सदन को इस बाबत अवगत करवाने हेतु कहा।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने बताया कि 601 शाखाओं के सापेक्ष अभी तक केवल 05 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किये गये है। अंतर का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों (Financial Resources) का बैंक के पास अभाव होना है। साथ ही उन्होने बताया कि विक्रेता (Vendor) आपूर्ति नही कर पा रहे हैं, टेण्डर प्रक्रियाधीन है तथा मामला प्रायोजक बैंक एस.बी.बी.जे के साथ take up किया हुआ है।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक से इस सम्बन्ध में भावी कार्ययोजना (Plan) से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने एक साल में लगभग 100 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में सूचित किया तथा बताया कि इस मामले में उनकी बैंक प्रायोजक बैंक पर निर्भर है।

उपमहाप्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा केवल ए.टी.एम. आपूर्ति से सम्बन्धित मामला अग्रेषित करने तथा फॉयनेंस के सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना नही भेजने के बारे में समिति को सूचित किया गया।

इस पर **निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा असंतोष प्रकट किया गया तथा मामले को गम्भीरता से लेने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा 715 शाखाओं के सापेक्ष 10 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किये जाने के बारे में सूचित किया गया।

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा ने सदन को उनका बैंक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक होने के कारण केन्द्रीय कार्यालय स्तर से इस बाबत बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ए.टी.एम. व माइक्रो ए.टी.एम. की व्यवहार्यता के बारे में चर्चा की गई।

इस बाबत **निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार** ने सदन को बताया कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ग्राहकों की संख्या सुनिश्चितता हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन-धन योजना चलाया जा रहा है एवं यदि सभी परिवारों के बैंक खाते खोल दिये गये हैं तथा रूपे कार्ड जारी कर दिये गये हैं तो ग्राहकों के नही आने का कोई कारण ही नही बनता। चूंकि अब कार्ड उपलब्ध करवा दिये गये हैं अतः ए.टी.एम. / माइक्रो ए.टी.एम. से लेन-देन होंगें। साथ ही उन्होने बताया कि ए.टी.एम. दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय है तथा बैंकों के लिए ये काफी हितकारी हैं।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने ए.टी.एम. स्थापना से सम्बन्धित मामले में ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से हटकर देखने तथा ए.टी.एम. स्थापना के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित मामला भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रामीण बैंकों के सशक्तिकरण हेतु गठित कमेटी (Empowered Committee on RRB) में take up तथा निगरानी (Monitor) किये जाने के बारे में सदन को सूचित किया।

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सभी बैंकों से शीघ्र Onsite ATM स्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही - सम्बन्धित सदस्य बैंक)

3. Allotment of land to RSETIs Alwar & Bharatpur District and early resolution of the issue of land Conversion charges:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही - ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

4. Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय से अवगत करवाया गया। **इस क्रम में बैठक के अध्यक्ष एवं संयोजक एस.एल.बी.सी.** द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन व पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग)

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: 31 जून 2015 तक राज्य में कुल 6855 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान बैंकों द्वारा 51 शाखाएं खोली गई जिनमें से 27 (57%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गयी हैं।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की अपेक्षानुसार चालू वित्तीय वर्ष में 500 नई शाखाएं खोली जानी है किंतु प्रथम तिमाही में केवल 51 शाखाएं खोली गई है जो कि प्रस्तावित लक्ष्य से काफी कम है। उन्होने एस.एल.बी.सी. को इस सम्बन्ध में सभी बैंकों से प्लॉन एकत्रित कर राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. ने सूचित किया कि सभी बैंकों से शाखा विस्तार हेतु प्लॉन पूर्व में एकत्रित कर ही राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

जमाएँ व अग्रिम: जून 2015 को राज्य में 16.30% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,58,282 करोड़ तथा 14.36% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये 2,28,377 करोड़ रहे हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 1,28,264 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 56.16% रहा है।

राज्य में कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 30.44%, कमजोर वर्ग को 17.64% रहा है जो कि निर्धारित बैंचमार्क से अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 8.29% रहा है।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): जून, 2015 को राज्य में साख जमा अनुपात 92.33% रहा। जिला स्तर पर 29 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं चार जिलों यथा डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही व उदयपुर में यह अनुपात क्रमशः 45%, 45%, 48% व 46% रहा है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन जिलों में साख जमा अनुपात 50% से कम होने के साथ-साथ लगातार घटने पर चिंता व्यक्त की गई।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि इन जिलों में जमाओं में वृद्धि, अग्रिमों में वृद्धि के सापेक्ष अधिक होने के कारण साख-जमा अनुपात घट रहा है।

आयुक्त मनरेगा, श्री रोहित कुमार, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि ये आदिवासी बाहुल्य जिले है, ज्यादातार अभावग्रस्त लोग इन जिलों में है तथा राज्य सरकार इनके लिए काफी चिंतित है। साथ ही बताया कि इन जिलों में मनरेगा लाभार्थियों को खाता खुलवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि बांसवाडा में केवल 5% तथा उदयपुर में 7% मनरेगा लाभार्थियों के बैंक खाते खुले हैं।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने इस सम्बन्ध में सूचित किया कि ज्यादातर लोगों के बैंक खाते हैं तथा खातों की मैपिंग करने की आवश्यकता दर्शाई।

आयुक्त मनरेगा, श्री रोहित कुमार, राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा लाभार्थियों के खातों की मैपिंग हेतु अभियान चलाकर सम्बन्धित विभाग स्तर से प्रस्तावित होने के बारे में सूचित किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन जिलों में साख-जमा अनुपात वृद्धि में आ रहे अवरोधकों, कारणों के विश्लेषण हेतु अध्ययन (Study) किये जाने की आवश्यकता दर्शाई तथा इस हेतु एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में एक कमेटी गठित किये जाने हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस सम्बन्ध में कमेटी गठन किया जाना प्रस्तावित किया जिसमें अग्रणी जिला प्रबन्धक, डी.डी.एम. नाबार्ड, एस.एल.बी.सी. प्रतिनिधि, जिले की अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि व राजीविका प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उक्त प्रस्ताव का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। उन्होने बताया कि उक्त कमेटी आगामी एस.एल.बी.सी. मिटिंग से पूर्व अध्ययन (Study) कर कारणों का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष प्रथम तिमाही की उपलब्धि 33.88% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 34.50%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 40.91%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 59% की उपलब्धि दर्ज की गई।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक साख योजना में निम्नानुसार पुनर्गठन (Realignment) प्रस्तावित करने से अवगत करवाया:

(Rs. in Crores)

Sr. No.	Particular	ACP target As per DCC approved plan	Target Proposed-	%- Increase over 2014-15 ACP
1	Agriculture	80480	**80480**	35.30%
2	MSE	11304	18777	66%
3	Education	918	**918**	77.22
4	Housing	4697	**4697**	22.28
5	Others*	7673	200	22.53
6	Medium Enterprises		**2605**	
7	MSME (MSE+ Medium Enterprises)	-	21382	-
8	Non- priority	10794	8189	

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर टिप्पणी करते हुए बताया कि लक्ष्य हमेशा पिछली उपलब्धि से अधिक होना चाहिये। हांलाकि चालू वित्तीय वर्ष हेतु लक्ष्य प्रस्तावित के अनुसार रखा जा सकता है किंतु आगे से इसका ध्यान रखा जाये।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि पिछली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक के दौरान वार्षिक साख योजना 2015-16 के तहत 10 जिलें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, सिरोही व टोंक में कृषि ऋण प्रवाह हेतु रखे गये लक्ष्यों का कम से कम 20% कृषि सावधि ऋण हेतु रखा जाने की आवश्यकता दर्शाई गई थी। 10 जिलों में से 03 जिलों अलवर, झुंझुनू व जोधपुर में उक्त लक्ष्य संशोधित कर दिये गये है तथा शेष 7 जिलों में उक्त लक्ष्य संशोधित किया जाना बाकी है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सम्बन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को एस.एल.बी.सी. स्तर से अनुरोध किये जाने के बारे में अवगत करवाया। साथ ही उन्होने बताया कि वार्षिक साख योजना हेतु लक्ष्य PLP के अनुरूप DCC द्वारा निर्धारित किये जाते है व DDM नाबार्ड भी उसका हिस्सा होता है तथा DCC से प्राप्त लक्ष्यों का एस.एल.बी.सी. द्वारा संकलन किया जाता है। अतः इसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन DCC द्वारा किया जा सकता है। उन्होने बताया कि कुछ जिलों यथा कोटा, झालावाड ने कृषि सावधि ऋणों हेतु पर्याप्त सम्भावना नही होने के कारण पूर्व में निर्धारित लक्ष्य यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है।

इस पर **मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड** ने बताया कि आगामी वर्षों हेतु वार्षिक साख योजना तैयार करते समय DDM नाबार्ड द्वारा इसका पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। साथ ही उन्होने बताया कि DDMs क्षेत्र विशिष्ट स्कीम (area specific scheme) पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा बैंकिंग प्लॉन बनाया जा रहा है। उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नई योजनाएं यथा Renewal Energy, Export Credit इत्यादि सम्मिलित की गई हैं। अतः आगामी वर्षों में वार्षिक साख योजना तैयार करते समय इन नई योजनाओं का ध्यान रखा जाये।

श्री अम्बरीश कुमार, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को प्रतिवर्ष रू. 3500 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु प्रवाहित किये जाने के बारे में सूचित करते हुए बताया कि ज्यादातर भुगतान पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी-ऑर्डर के माध्यम से किये जा रहे हैं। उक्त खाते सी.बी.एस. सक्षम बैंकों में अंतरण (Shift) कर भामाशाह मंच पर लाना प्रस्तावित है। रू. 600 करोड़ प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही है जो कि पिछले 3 सालों से DBT मंच पर है तथा पालनहार योजना में प्रतिवर्ष रू. 500 करोड़ प्रवाहित किये जा रहे है। इसके अलावा और भी छोटी- छोटी स्कीम भी चलाई जा रही है।

उन्होने बताया कि विभिन्न योजनाओं के ऑन-लाईन वेब पोर्टल में लाभार्थियों द्वारा बैंक खाते की जानकारी यथा IFSC Code व बैंक खाता संख्या प्रविष्ट करते समय, बैंक खाता विघमान है या नही के बारे में पता नही चल पाता है जिससे कि डाटा प्रविष्टी (entry) में त्रुटि आ जाती है तथा भुगतान वापिस (Bounce) आने पर ही इसका पता चल पाता है। विभाग को उक्त राशि वापिस बजट खाते में जमा करनी होती है तथा लाभार्थी को सही बैंक खाता नम्बर उपलब्ध करवाने हेतु पुनः सम्पर्क करना

पड़ता है। उन्होने ऐसा तंत्र स्थापित करने हेतु अनुरोध किया जिसमे उनके सर्वर से बैंकिंग सर्वर में IFSC Code व बैंक खाता संख्या सम्बन्धित सूचना अग्रेषित करने की स्थिति में बैंकिंग सर्वर से खाता खाता विघमान है या नही के बारे में तुरंत पता चल जाये, इससे विफल लेन-देन शून्य हो जायेंगें।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि ये समस्या उन खातों में आती है जिनमे आधार सीडिंग नही होती है, आधार सीडिंग होने की दशा में NPCI के माध्यम से डाटा सीधे ही पुश हो जाता है तथा जिस खाते में आधार सीडिंग है उनमें कोष अंतरित हो जाता है। साथ ही उन्होने बताया कि बैंकवार फाईल विभाजित (Segregate) कर बैंकों को उपलब्ध करवाने की दशा में उनके द्वारा उक्त का सत्यापन किया जा सकता है।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि फाईल विभाजित (Segregate) कर बैंकों को उपलब्ध करवाने की दशा में मानवीय (Manual) प्रक्रिया उत्पन्न होती है। जबकि ये सतत प्रक्रिया है। प्रतिदिन नये लोग फॉर्म भरते हैं, नई योजनाएं आती हैं तथा आधार सर्वर की तरह एक सर्वर हो जो Read Only सर्विस की तरह कार्य करें तथा यदि बैंक प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले तो यह सम्भव है तथा कोई सुरक्षा उल्लंघन की कोई सम्भावना नही है। साथ ही उन्होने बताया कि विदेशों में इस तरह की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होने बताया कि United States में बहुत सेवा प्रदाता बैंकों को इस तरह की सेवा उपलब्ध करवा रहे है। चूंकि अब DBT बडे स्तर पर क्रियांवित होने जा रही है अतः इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने की काफी मॉग आयेगी तथा बैंकों से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

उन्होने बताया कि इलैक्ट्रानिक भुगतान की दशा में IFSC Code व खाता संख्या पर्याप्त है किंतु ग्रामीण बैंकों के मामले में MICR Code मांगे जाने की समस्या आ रही है तथा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक एवं बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ने इस सम्बन्ध में बताया कि इलैक्ट्रानिक भुगतान की दशा में MICR Code की कोई आवश्यकता नही है तथा IFSC Code व खाता संख्या पर्याप्त है। यदि IFSC Code व खाता संख्या सही है तो भुगतान में कोई समस्या नही है।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ए.टी.एम. नेटवर्क से सम्बन्धित एक सुझाव से सदन को अवगत करवाया गया। उन्होने बताया कि जैसा कि बताया जा रहा है कि माइक्रो ए.टी.एम. वित्तीय रूप से व्यवहार्य है। एक माइक्रो ए.टी.एम. की अग्रिम (Upfront) लागत लगभग रू. 20,000/- आती है तथा एक ए.टी.एम. की अग्रिम (Upfront) लागत लगभग रू. 2.00 लाख आती है। यदि 10,000 ग्राम पंचायतों में ए.टी.एम. स्थापित करते है तो उसकी कुल लागत लगभग रू. 200 करोड़ आती है तथा ये राशि कुछ भी नही है। क्योंकि ए.टी.एम. में प्रोटोकॉल पहले से फिक्स हैं तथा ए.टी.एम. में नगदी भरने के कार्य सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है तथा ए.टी.एम. त्रुटिरहित एवं सुरक्षित स्थापित सिस्टम है जबकि बी.सी. माइक्रो ए.टी.एम. स्थापित सिस्टम नही है।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि नकदी प्रबन्धन एक बडी समस्या है तथा इस मॉडल को बढाने में नकदी प्रबन्धन, नकदी परिवहन व सुरक्षा एक बडी बाधा है।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया कि National Payment Corporation की तरह National ATM Corporation बनाया जा सकता है जो केवल ए.टी.एम. स्थापना से सम्बन्धित कार्य देखे। उन्होने बताया कि ये ए.टी.एम. ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केन्द्र / पंचायत भवन में लगाये जा सकते है।

आयुक्त मनरेगा, राजस्थान सरकार द्वारा भी ए.टी.एम. विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा ए.टी.एम. स्थापना हेतु ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में एक सुझाव प्रस्तुत किया यदि बैंक ग्राम पंचायत स्तर पर ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु सहमत होते है तो बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा 50-50% लागत के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है तथा राज्य हेतु सभी बैंक इससे सहमत होते हैं तो उनके विभाग से यह मामला राज्य सरकार को विचारार्थ अग्रेषित किया जा सकता है।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने कहा कि राज्य में दोनों ग्रामीण बैंक सभी जिलों में कार्यरत है तथा लगभग 1300 शाखाओं के साथ ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं तथा ग्रामीण बैंक इस हेतु तैयार हैं।

संयोजक,एस.एल.बी.सी. ने अपना मत प्रस्तुत किया कि यदि राज्य सरकार 50% लागत वहन करने हेतु तैयार होती है तो अन्य बैंक भी इस सम्बन्ध में भागीदारी करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि लगभग हर ग्राम पंचायत में अटल सेवा केन्द्र स्थित है तथा वहॉ क्नेक्टिविटी राज्य सरकार द्वारा राजनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः इससे सम्बन्धित कोई परेशानी नही है। साथ ही ए.टी.एम. स्थापित होने से रूपे कार्ड एक्टिवेशन की समस्या भी हल हो सकेगी।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को अवगत करवाया कि निशक्तजन को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें वर्तमान में मूल राशि पर 50% अनुदान (अधिकतम रू. 50,000/-) उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा विभाग स्कीम में परिवर्तन कर मूल राशि पर अनुदान को समाप्त कर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने पर विचार कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में उन्होनें बैंकों से अपना मत प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया।

संयोजक,एस.एल.बी.सी. ने सुझाव दिया कि विभाग अपने स्तर से एक मिटिंग आयोजित कर उसमें बैंकर्स को आमंत्रित कर निर्णय ले सकता है।

नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को पुर्नवित्त: सदन को सहकारी बैंकों के मामलों में नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में STCRC फण्ड हेतु रू. 45,000 करोड़ आवंटित करने तथा Long Term Rural Credit Fund हेतु रू. 15,000 करोड़ अतिरिक्त आवंटित करने से सम्बद्व भारत सरकार के निर्णय से अवगत करवाया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा इस पर टिप्पणी करते हुए बताया गया कि यह एक अच्छा व्यवसाय प्रस्ताव है तथा सहकारी बैंकों को 2% ब्याज अनुदान भी उपलब्ध रहेगा।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3-</u>

<u>Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000</u>:

सदन को अवगत करवाया गया कि 2000 से कम आबादी वाले 35085 बैंक रहित (Unbanked) गांवों को मार्च 2016 तक कवर करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष जून 2015 तक 33517 गांव कवर कर लिये गये हैं। कवर किये गये गांवों में से 248 गांव शाखा खोले जाकर, 33188 गांव बी.सी. मॉडल के माध्यम से तथा 81 गांव अन्य तरीके से कवर किये गये हैं।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अधिकतर गावों को बी.सी. के माध्यम से कवर किया गया है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार चिन्हित गांवों में से 5% गांव बैंक शाखा खोले जाकर कवर किये जाने थे, जिसमें अपेक्षित कार्यवाही वांछित है। उन्होनें बैंकों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शाखा खोले जाने हेतु अनुरोध किया। उन्होने एस.एल.बी.सी. से पुनः अनुरोध किया कि एजेण्डा प्रस्तुतीकरण के समय समेकित प्रगति के साथ-साथ तिमाही की प्रगति भी प्रस्तुत की जाये जिससे की पिछली मिटिंग में हुई चर्चा के आधार पर चालू तिमाही में प्रगति के बारे में पता चल सके। साथ ही उन्होने सूचित किया कि उनके केन्द्रीय कार्यालय से इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने इंगित किया कि बैंक ऑफ बडौदा राज्य में एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंक है, किंतु बैंक द्वारा 3857 गांवों के सापेक्ष केवल प्रस्तुत रोडमैप मे 45 गांव शाखा खोले जाकर कवर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि केन्द्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार 5% गांव शाखा खोले जाकर कवर करने चाहिये।

(कार्यवाही- सदस्य बैंक)

इस सम्बन्ध में **कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा** द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया कि चूंकि गांवों में शाखा खोले जाने का उद्देश्य गांव की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तथा यदि बी.सी. मॉडल, ए.टी.एम., माइक्रो ए.टी.एम. द्वारा ये कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा है तो शाखा खोले जाने की आवश्यकता से सम्बन्धित निर्देशों के मामले में रिव्यू किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने केन्द्रीय कार्यालय से अनुरोध किया जा सकता है।

चर्चा में भाग लेते हुए **निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि उक्त मामला वित्तीय सेवाएं विभाग स्तर से भी भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय से Take up किया गया था। उन्होने बताया कि बैंकों के समक्ष लाभप्रदता एक बड़ा मुद्धा है। यदि बडे पैमाने पर शाखाएं खोली जाती हैं तो एक शाखा पर कम से कम 8 से 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष खर्चा आता है तथा उक्त को ध्यान में रखते हुए उन्होने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया

कि एक ऐसी स्कीम बनाई जा सकती है जिसमें कि बैंकों को इस प्रकार शाखा खोलने पर कोई प्रोत्साहन मिल सके अन्यथा अधिकांश शाखाएं खोलने के साथ ही हानि में आ जायेंगी।

साथ ही उन्होने सूचित किया कि जनप्रतिनिधियों यथा माननीय सांसदों तथा विधायकों द्वारा उनके क्षेत्र में शाखा खोले जाने से सम्बन्धित प्रतिवेदन लगातार वित्तीय सेवाएं विभाग को प्राप्त हो रहें हैं तथा उक्त प्रतिवेदन विभाग द्वारा सम्बन्धित एस.एल.बी.सी. को प्रेषित किये जाते हैं व एस.एल.बी.सी. द्वारा उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंक को प्रेषित किया जाता है। किंतु ज्यादातर मामलों में बैंक द्वारा सर्वे करवाकर शाखा खोले जाना व्यवहार्य नही पाया जाना रिपोर्ट किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्रों में एक ही एरिया में काफी शाखाएं खोली गई हैं। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निदेशक के कथन का समर्थन करते हुए बताया गया कि बैंकों द्वारा सर्वे करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा खोले जाने से सम्बन्धित जारी नीति (पॉलिसी) जिसके अनुसार कम से कम 25% शाखाएं बैंकरहित गांवों में खोले जानी है, को ध्यान मे रखते हुए निर्णय लेना चाहिये।

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा बताया गया कि शाखा व्यवहार्यता के अलावा उन शाखाओं हेतु समुचित स्टॉफ प्रतिनियुक्त करना भी बैंकों के समक्ष एक बडा मुद्दा है।

सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि हांल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों की मिटिंग आयोजित की गई जिसमें अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा अधिकांश शाखाओं में रूपे कार्ड वितरण हेतु शाखा स्तर पर लम्बित होना सूचित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में रूपे कार्ड वितरण हेतु बैंकों द्वारा एक समय-सीमा तय करने की आवश्यकता दर्शाई।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में DoIT विभाग, राज्य सरकार द्वारा ब्लॉकवार सभी शाखा प्रबन्धकों के साथ एक विडियो कांफ्रेंस मिटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा भी रूपे कार्ड वितरण पर विशेष बल दिया गया तथा 15 अगस्त तक सभी शाखाओं को उक्त रूपे कार्ड न केवल वितरित अपितु एक्टिवेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना:</u> सदन को राज्य में प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत प्रगति से अवगत करवाया। योजनांतर्गत 31.07.2015 तक राज्य में कुल 1,27,22,754 खाते खोले गये, जिनमें से 85.75% खातों में रूपे कार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा 46.64% खातों में आधार सीडिंग की गई है।

<u>माइक्रो इंश्योरेंस:</u> सदन को सामाजिक सुरक्षा स्कीम "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" (PMJJBY), "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" (PMSBY) तथा "अटल पेंशन योजना" (APY) की प्रगति से अवगत करवाया गया। तीनो योजनाओं के अंतर्गत 31.07.2015 तक राज्य में कुल 43,33,459 व्यक्ति कवर किये गये हैं।

सदन को "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र के बगैर नामांकन हेतु अंतिम तिथि बढ़ाकर 30.09.2015 किये जाने के भारत सरकार के निर्णय से अवगत करवाया गया।

सदन को सहकारी बैंकों को तीनों योजनाओं के अंतर्गत भागीदारी सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक की शाखा को 01 जून 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक अटल पेंशन योजनांतर्गत प्रति शाखा 150 नामांकन के लक्ष्य आवंटन के भारत सरकार के निर्णय से अवगत करवाया गया।

<u>सुरक्षा बन्धन</u>: सदन को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की गई पहल सुरक्षा बन्धन तथा तीनों स्कीम "सुरक्षा डिपोजिट", "जीवन सुरक्षा डिपोजिट स्कीम" तथा "जीवन सुरक्षा गिफ्ट चैक" के बारे में विस्तृत रूप से अवगत करवाया गया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीनों योजनाओं के क्रियांवयन हेतु बैंकों की तैयारी तथा सभी स्टॉफ सदस्यों के संज्ञान में योजना की जानकारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही उन्होनें इस सन्दर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षाबन्धन के अवसर पर एक बडा मीडिया कैम्पेन लांच करने से सदन को अवगत करवाया।

(कार्यवाही- सभी सदस्य बैंक)

सदन को अवगत करवाया गया कि एस.एल.बी.सी. स्तर से माननीय सांसद महोदयों को स्कीम के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देते हुए आवश्यक सहयोग हेतु पत्र लिखे गये हैं तथा सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों को इसी अनुरूप माननीय विधायक महोदयों तथा अन्य जनप्रतिनिधियोंको पत्र लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा सदस्य बैंकों, एल.आई.सी. तथा जिप्सा प्रतिनिधियों से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सभी शाखाओं, बी.सी. / कियोस्क केन्द्र में प्रचारित करने हेतु अनुरोध किया गया।

सभी डी.सी.सी. संयोजक बैंकों से अग्रणी जिला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को एकत्रित करने तथा उनकी छंटनी कर सम्बन्धित बैंकों को अग्रेषित करने फोलोअप हेतु सुविधा (facilitation) केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया।

सदन को राज्य के सभी जिलों में टाउन हॉल मिटिंग का प्रथम चरण आयोजित किये जाने तथा द्वितिय चरण में अगस्त माह में 50,000 व उससे ज्यादा जनसंख्या वाले कस्बों में टाउन हॉल मिटिंग के आयोजन प्रस्तावित होने के बारे में अवगत करवाया गया।

निदेशक ई.जी.एस., राजस्थान सरकार द्वारा तीन चार जिलों में जिला क्लेक्टर्स से प्राप्त फीडबैक के अनुसार मनरेगा अंतर्गत शून्य बैलेंस खाते खोले जाने में आ रही समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होने एस.एल.बी.सी. से मनरेगा स्कीम को एजेण्डा कार्यबिन्दुओं में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया तथा एजेण्डा में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवाने हेतु आश्वस्त किया।

उन्होने बताया कि बांसवाड़ा जिले में लगभग 68000 मनरेगा लाभार्थियों के बैंक खाता खुलवाने से सम्बन्धित आवेदन बैंक ऑफ बडौदा तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में लम्बित हैं। नागौर जिले में यूको बैंक तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा शून्य बैलेंस खाते खोले जाने में आनाकानी की जा रही है। साथ ही बांसवाडा व जैसलमेर जिले में खाताधारकों को पास-बुक वितरित नही की जा रहीं हैं।

उन्होने बताया धौलपुर जिले में एस.बी.बी.जे. द्वारा न तो खाते खोले जा रहे हैं, ना ही कोई सहयोग नही प्रदान किया जा रहा है।

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार द्वारा इस पर टिप्पणी करते हुए बताया कि धौलपुर जिला मध्यप्रदेश की सीमा से सटा हुआ है तथा हमे वहॉ के निवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिये।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा एस.बी.बी.जे. प्रतिनिधी को अपनी टीम के साथ धौलपुर जिले में विजिट कर जिला क्लेक्टर से सम्पर्क करने तथा जिले के शाखा प्रबन्धकों को इस सम्बन्ध में Sensitize कर समस्या निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।

प्रतिनिधि, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा बांसवाड़ा जिले में लगभग 80000 खाते खोले जाने तथा CEO जिला परिषद से सम्पर्क करने के बारे में अवगत करवाया तथा ऐसी कोई जानकारी नही होने से अवगत करवाया।

निदेशक ई.जी.एस., राजस्थान सरकार ने प्रतिनिधि, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को जिला क्लेक्टर से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया।

निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस.एल.बी.सी. मिटिंग में बैंकों से उच्च स्तरीय भागीदारी नही किये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए आगामी बैठकों में बैंक स्तर से उच्च स्तरीय भागीदारी (Higher Level Participation) हेतु निर्देशित किया गया।

Capacity Building of Bank Mitras / Business Correspondents:

सदन को व्यवसाय प्रतिनिधी (बी.सी. / बैंक मित्र) का बेसिक बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व उत्पादों के बारे में ज्ञानवर्धन तथा व्यवसाय प्रतिनिधी को तीन दिवसीय ट्रेनिंग उपलब्ध करवाकर IIBF द्वारा Certify करवाने के क्रम में राज्य में दो दिवसीय “Train the Trainers Programme” के तहत IIBF के प्रशिक्षकों द्वारा आरसेटी निदेशकों / फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाये जाने के बारे मे अवगत करवाया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा आरसेटी प्रायोजक बैंकों से आरसेटी को सभी बी.सी. / कियोस्क हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया तथा IIBF से बी.सी. प्रमाणन (Certification from IIBF) हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे के बारे में इण्डियन बैंक एसोसियेशन द्वारा जारी निर्देशों से अवगत करवाया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4: (कृषि)</u>

जून तिमाही समाप्ति पर राज्य में कृषि क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम रू. 69,522 करोड रहा है।

सदन को कृषि विपणन संशाधन (Agriculture Marketing Infrastructure - AMI) हेतु नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया गया।

सदन को National Livestock Mission (NLM) व Agri Clinic & Agri Business Centre स्कीम के बारे में जानकारी दी गई।

सदन को Capital Subsidy Scheme to install Solar Photovoltaic Water Pumping Systems for irrigation purpose स्कीम में हुए संशोधनों के बारे में अवगत करवाया गया। साथ ही Joint Liability Group के बारे में बताया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य हेतु 40000 JLGs को ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंकों द्वारा JLGs को प्रदत्त ऋण के बारे में कोई सूचना प्रेषित नही की जा रही है। अतः प्रगति एजेण्डा कार्यबिन्दुओं मे सम्मिलित नही की गई है। उन्होने बैंकों से योजनांतर्गत प्रगति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को सूचित किया गया कि 40000 के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 547 JLGs को ऋण वितरित किया गया है।

सदन को संतरा उत्पादन हेतु नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा क्रियांवित स्कीम के बारे में जानकारी दी गई तथा स्कीम अंतर्गत पात्र किसानों से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया।

सदन को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया गया।

राज्य में मार्च माह में आई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि की वजह से रबी फसल में हुए खराबे पर चर्चा करते हुए बताया गया कि बैंकों द्वारा प्रभावित कृषकों को राहत सहायता पहुंचा दी गई है तथा एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंकों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पुर्नगठित ऋणों के बारे में सूचना मांगी गई है। सभी बैंकों से शीघ्र सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा बताया गया कि यघपि राज्य सरकार स्तर से प्रभावित कृषकों की सूचि प्राप्त नही हुई थी किंतु प्राप्त फीडबैक के अनुसार सम्बन्धित जिला प्रशासन से प्राप्त लिस्ट के आधार पर प्रभावित कृषकों को सहायता उपलब्ध करवा दी गई है।

सचिव, आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग एण्ड निदेशक ई.जी.एस., राजस्थान सरकार द्वारा बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राहत सहायता राशि रू. 2500 करोड़ प्रभावित कृषकों के खातों में अविलम्ब पहुंचाने के लिए बैंकों की सराहना की गई। साथ ही उन्होने अवगत करवाया कि मनरेगा अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल., इन्दिरा आवास लाभार्थी, भूमि सुधार लाभार्थी, लघु एवं सीमांत कृषकों को बागवानी हेतु रू. 3.00 लाख उपलब्ध करवाने की योजना बन रही है तथा ये लाभार्थी बैंक में खाता खुलवायेंगें तथा ये बैंकों के लिए अच्छा व्यवसाय अवसर होगा।

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार ने चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि राजीविका अनुपालित महिला स्वंय सहायता समूहों को मनरेगा अंतर्गत उपयोग मे लिया जायेगा जिससे की ऋण वसुली तथा अन्य कार्यों में उनकी सहायता मिल सकेगी। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाने में इनका सहयोग लिया जा सकता है। राजीविका का बैंक सखी मॉडल बैंकों के लिए काफी सहयोगी सिद्ध हो रहा है तथा इसे बैंकों से भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होने बताया कि मनरेगा तथा एन.आर.एल.एम. के संमिलन (Convergence) से ऋण वसुली तथा व्यवसाय वृद्धि हेतु बैंकों को सहयोग मिलेगा।

<u>फसल बीमा:</u> प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि खरीफ 2015-16 हेतु राज्य में 13 जिलें संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम तथा 20 जिलें मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम के कवर किये गये हैं। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से रबी फसल को हुए खराबे के कारण प्रभावित क्षेत्रों में बीमा क्लेम राशि रू. 564 करोड़ उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होने बताया कि तीन जिलें भरतपुर, बून्दी एवं श्रीगंगानगर में सहकारी बैंक सहयोग नही कर रहे हैं। वहॉ कृषकों का बीमा नही होने के कारण कृषक लाभ से वंछित रह गये है।

उन्होने बताया कि समय-समय पर विभिन्न हितग्राहियों द्वारा फसल बीमा से लाभांवित कृषकों की जानकारी मांगी जाती है तथा लाभांवित कृषकों की सूचि वेबसाईट पर अपलोड करनी होती है किंतु बैंकों की और से लाभांवित कृषकों की जानकारी उपलब्ध नही करवाई जा रही है। बैंकों को यह जानकारी सॉफ्ट प्रति में बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवानी होती है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सम्बन्धित प्रतिनिधि से मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हेतु एस.एल.बी.सी. कार्यालय में आकर चर्चा हेतु अनुरोध किया गया।

प्रतिनिधि, कृषि विभाग द्वारा पिछले बीमा क्लेम दावा निस्तारण के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा फसल बीमा के सम्बन्ध मे झालावाड की समस्या की और ध्यान आकर्षित किया। उन्होने बताया कि झालावाड में मौसम केन्द्र (Weather Stations) परिवर्तित किये गये थे तथा शाखा को इस बारे में पता नही होने के कारण घोषणा पत्र में मौसम केन्द्र (Weather Station) का नाम झालावाड लिख कर प्रीमियम राशि प्रेषित कर दी गई थी तथा कृषि

विभाग द्वारा प्रीमियम राशि स्वीकार कर ली गई किंतु खराबे की दशा में बीमा क्लेम नही दिया गया। उन्होनें कृषि विभाग से इस बाबत सम्बन्धित कृषकों को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि इसी तरह की समस्या के कारण चुरू जिले में 2 करोड़ कृषकों के क्लेम फॉर्म लम्बित चल रहे है। बैंकों द्वारा घोषणा पत्र में गलत जगह का नाम लिख दिया गया था। उन्होने बैंकों से अधिसूचना के आधार बीमा प्रीमियम नामे किये जाने हेतु अनुरोध किया।

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में उन्होने मामले को Examine किये जाने हेतु आश्वस्त किया।

Recovery Cases Pending under RACO (ROD) Act 1974

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act,1974 तहत दायर मामलों में के निपटान की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई, तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग हेतु पुनः अनुरोध किया गया।

एजेण्डा क्रमांक - 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 28858 SHGs गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 23898 SHGs को बैंक लिंकेज व 6273 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

(Source Data : Rajeevika)

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में महिला स्वंय सहायता समूहों हेतु राशि रू. 160 करोड़ का लक्ष्य रखे जाने से सदन को अवगत करवाया गया तथा बैंकों से निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा ऋण वितरण हेतु अनुरोध किया गया। उन्होने बताया कि NRLM अनुपालित समूहों में शत प्रतिशत वसूली का रिकार्ड रहा है तथा नये NRLM अनुपालित समूहों हेतु भी उक्त के सम्बन्ध में आश्वस्त किया। साथ ही बताया कि पिछले वर्ष कुछ जिलों में SHG ऋण वितरण हेतु क्रेडिट कैम्प आयोजित किये गये थे। उन्होने वर्ष हेतु भी इस तरह के क्रेडिट कैम्प आयोजित किये जाने की आवश्यकता दर्शाई।

उन्होने 37 बैंक शाखाओं में राजीविका द्वारा चयनित बैंक सखी प्रतिनियुक्त किये जाने के बारे में अवगत करवाया। उन्होने बताया कि जिन बैंक शाखाओं में 50 से ज्यादा एस.एच.जी. समूह हैं वहॉ बैंक सखी नियुक्त की जायेगी। साथ ही उन्होने स्वंय सहायता समूहों के बैंक खाता / ऋण खाते के आवेदन फॉर्म में आवेदनकर्ता को पावती उपलब्ध करवाने की आवश्यकता दर्शाई जिससे कि आवेदन फॉर्म लम्बे समय तक शाखा स्तर पर लम्बित नही रह सकें।

उन्होने बताया कि बैंकों द्वारा एस.एच.जी. क्रेडिट लिंकेज के समय प्रथम डोज के रूप में केवल रू. 50,000/- वितरित किये जाते हैं जो कि काफी कम है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के जून 13 के परिपत्र के अनुसार प्रथम डोज के रूप Corpus फण्ड का 4 से 8 गुणा या रूपये 50,000/- जो ज्यादा हो वितरित किये जा सकते है। उन्होने इस बाबत बैंकों से आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किया।

उन्होने जिला स्तरीय एस.एच.जी. उपसमिति बैठक मासिक आधार पर आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा बताया कि इस सम्बन्ध में सभी जिला क्लेक्टर्स को पत्र लिखा जा रहा है। उन्होने सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा झालावाड व बारा जिले में, इलाहाबाद बैंक द्वारा उदयपुर जिले में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अजमेर, धौलपुर व पाली जिले में SHG बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज में सहयोग नही किया जा रहा है। उन्होने इन बैंकों के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले की शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया।

अंत में उन्होने बैंक ऑफ बडौदा तथा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा एस.एच.जी. लिंकेज मे दिये जा रहे सहयोग की प्रंशषा की तथा NRLM व एस.एच.जी. हेतु अन्य बैंकों द्वारा किये जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए अधिक प्रयासों पर बल दिया। बताया कि आर-सेटी भूमि आवंटन व इससे सम्बन्धित प्रकरणों में उनके विभाग द्वारा राजस्व विभाग से लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है तथा आगामी एस.एल.बी.सी. बैठक से पूर्व प्रकरणों में प्रगति लाने हेतु आश्वस्त किया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NRLM के तत्वाधान विशेष ग्राम सभा आयोजित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिसके माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

इस सम्बन्ध में **सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार** द्वारा निदेशक, वित्त मंत्रालय के सुझाव का स्वागत करते हुए बताया कि 15 अगस्त तथा 02 अक्टूबर को NRLM के तत्वाधान में ग्राम सभा आयोजित की जानी है तथा इस वित्तीय साक्षरता हेतु 02 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा का उपयोग किया जा सकता है तथा राजीविका के स्वंय सहायता समूह इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगें।

<u>स्वंय सहायता समूह (SHG)</u>

सदन को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु नाबार्ड द्वारा 25000 एस.एच.जी. बैंक लिंकेज व 62500 एस.एच.जी. क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा दौरान जून तिमाही तक राज्य में 4743 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज तथा 2000 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है।

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार द्वारा बताया गया कि नाबार्ड द्वारा महिला स्वंय सहायता समूहों हेतु पृथक स्कीम चलाई जा रही है तथा NRLM में SHG स्कीम को शामिल किया जाकर NRLM द्वारा स्वंय सहायता समूहों का गठन कर बैंकों के माध्यम से बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज किया जा रहा है। नाबार्ड की स्कीम के तहत स्वंय सहायता समूह NGOs के माध्यम से गठित किये जा रहे है जो कि विश्वसनीय नही है जबकि NRLM

के अंतर्गत स्वंय सहायता समूह महिलायों द्वारा CRP (Community Resource Person) मोड अंतर्गत गठित किये जा रहे हैं जो कि काफी विश्वसनीय है। नाबार्ड द्वारा NGOs के माध्यम से जो समूह गठित किये जा रहे हैं जिसमे की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई मुद्दे (Issues) है तथा डूंगरपुर में इस सम्बन्ध में एक जांच चल रही है। चूंकि नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही स्कीम भारत सरकार की स्कीम है, अतः उन्होने वित्त मंत्रालय से इस बाबत गौर करने हेतु अनुरोध किया ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा लक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि उक्त लक्ष्य सभी एस.एच.जी. के सम्बन्ध में है जिसमें NRLM समूह, NGOs द्वारा गठित समूह सभी सम्मिलित हैं तथा क्रेडिट लिंकेज बैंकों के द्वारा किये जाने हैं। नाबार्ड द्वारा इन issues को हल करने की कोशिश की जा रही है। नाबार्ड द्वारा NGOs के माध्यम और भी कई योजनाएं चलाई जा रहीं है तथा जो NGO सही ढ़ंग से कार्य नही कर रहे हैं उन्हे हटाने की प्रक्रियाधीन हैं।

प्रतिनिधि, राजीविका द्वारा बताया गया कि यघपि बैंकों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है किंतु सी.बी.एस. में एक्टिविटी कोड सही समाविष्ट नही करने से NRLM पोर्टल पर क्रेडिट लिंकेज की समुचित प्रगति परिलक्षित नही हो पाती है। इस सम्बन्ध में उन्होने बैंकों से सही एक्टिविटी कोड समाविष्ट कर सी.बी.एस. डाटा जांचने हेतु अनुरोध किया किया।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा बताया गया कि केवल जुलाई माह में उनके द्वारा 850 स्वंय सहायता समूह क्रेडिट लिंक किये गये है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को अवगत करवाया कि निष्क्रिय स्वंय सहायता समूह के पुनरूद्धार हेतु नाबार्ड की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत एन.पी.ए. बकाया राशि को चुकता कर नया ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

National Urban Livelihood Mission (NULM):

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत 10,000 (व्यक्तिगत लाभार्थी) व 200 (स्वंय सहायता समूह) के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा 4000 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये गये, जिसके सापेक्ष 497 मामलों में स्वीकृति प्रदान की जाकर 74 मामलों में वितरण किया गया।

इस क्रम में संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में वितरण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

साथ ही सम्बन्धित विभाग को प्रगति के साथ-साथ बैंकवार लम्बित आवेदनों की सूचि प्रेषित करने एवं लक्ष्यों के अनुरूप ही आवेदन प्रायोजित करने हेतु अनुरोध किया गया।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)</u>

जून तिमाही समाप्ति पर योजनांतर्गत उपलब्धि 7.24% रही है।

निदेशक, खादी ग्रामोघोग आयोग द्वारा बताया गया स्कीम क्रियांवयन के प्रारम्भ से ही लक्ष्य प्राप्ति की जा रही है तथा बैंकों द्वारा मिल रहे सहयोग की सराहना की। उन्होने बैंकों से योजनांतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति दिसम्बर 2015 तक करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही उन्होने शाखा स्तर पर प्राप्त आवेदनों का 45 दिन में निस्तारण हेतु अनुरोध किया जिससे की निरस्त किये आवेदनों के स्थान पर नये आवेदन समय रहते प्रेषित किये जा सकें।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टिप्पणी की गई कि जिला स्तरीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि ज्यादातार मामलों में आवेदन एक साथ दिसम्बर या मार्च के अंत तक शाखाओं प्रेषित किये जाते है, जिससे कि शाखा के पास ज्यादा विकल्प नही रह पाता है। साथ ही उन्होने टास्क फोर्स कमेटी की मिटिंग सम्बन्धी कार्यवाही वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही करने हेतु अनुरोध किया जिससे कि शाखाओं को आवेदन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

<u>अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम:</u>

योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों 29088 के सापेक्ष उपलब्धि 2.81% रही है।

बैंकों से सभी स्वीकृत मामलों में शीघ्र वितरण हेतु अनुरोध किया गया।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):</u>

सदन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। भारत सरकार द्वारा रू. 10.00 लाख तक के अकृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण (विनिर्माण, ट्रेडिंग, सेवा क्षेत्र इत्यादि) मुद्रा ऋण योजनांर्तगत कवर किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत प्रदत्त रू. 5000 तक के ओवरड्राफ्ट भी मुद्रा ऋण के अंतर्गत कवर किये जायेंगें।

8 अप्रेल 2015 या उसके बाद के उपरोक्त श्रेणी में प्रदत्त ऋण PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण में वर्गीकृत किये जायेंगें।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए मुद्रा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों हेतु लक्ष्य नाबार्ड द्वारा निर्धारित किये जाने है व अन्य प्राईवेट व विदेशी बैंकों हेतु लक्ष्य आई.बी.ए. द्वारा निर्धारित किये जाने है।

राज्य हेतु योजनांतर्गत लक्ष्य निम्नानुसार रहे हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - 2980 करोड़ रूपये, ग्रामीण बैंक - 138 करोड़ रूपये

अन्य वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लक्ष्य आई.बी.ए. तथा नाबार्ड से प्राप्त होना शेष है। योजना हेतु आई.बी.ए. द्वारा विकसित कॉमन आवेदन फॉर्म सभी सदस्य बैंकों को उपलब्ध करवा दिये गये है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा उक्त योजना की मॉनेटरिंग व प्रगति की समीक्षा एस.एल.बी.सी. / डी.सी.सी. स्तर से की जानी है, के बारे में अवगत करवाते हुए बैंकों से योजनांतर्गत प्रगति प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया।

<u>बुनकर क्रेडिट कार्ड:</u>

प्रतिनिधि, आयुक्त उघोग कार्यालय, **राजस्थान सरकार** द्वारा अवगत करवाया गया कि योजनांतर्गत बैंकों द्वारा पर्याप्त स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है। बैंकों द्वारा ब्याज अनुदान क्लेम नही किया जा रहा है। उन्होने बैंकों से पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत मामलों में ब्याज अनुदान क्लेम करने हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सम्बन्धित विभाग से योजनांतर्गत मार्जिन मनी राशि के बारे में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया, क्योंकि नाबार्ड द्वारा मार्जिन मनी परियोजना लागत का 20% अधिकतम रू. 10,000/- प्रति बुनकर दर्शाया गया है जबकि विभाग द्वारा मार्जिन मनी रू. 4200/- प्रति बुनकर दर्शाई गई है।

प्रतिनिधि, आयुक्त उघोग कार्यालय, **राजस्थान सरकार** द्वारा इस सम्बन्ध में जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आश्वस्त किया गया।

सदन में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण पर चर्चा की गई तथा बैंकों को अल्पसंख्यक समुदाय को सुचारू एवं निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

सदन को मुद्रांक पंजीयक, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वाधान में दिनांक 09.07.2015 को स्टाम्प शुल्क व इससे सम्बन्धित मुद्धों पर सभी बैंकों की कार्यशाला आयोजित किये जाने के बारे में अवगत करवाया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 6:</u>

<u>Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान आर-सेटी द्वारा 6918 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें से 2315 उम्मीद्वारों से Settlement के बारें अवगत करवाया गया। राज्य में सभी आर-सेटी द्वारा जून 2015 तक प्रशिक्षित कुल उम्मीद्वारों की Settlement rate 70% रही है, जिसमें से 34% उम्मीद्वार बैंक फॉयनेंस द्वारा settled किये गये है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर-सेटी अलवर द्वारा कार्य नही करने से सम्बन्धित मुद्दा उठाया गया। उन्होने बताया कि चूंकि अलवर आर-सेटी हेतु भूमि आवंटन नही हुआ है, अतः किराये के परिसर में आर-सेटी प्रारम्भ कर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया कि उनके प्रधान कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जब तक आर-सेटी हेतु भूमि आवंटन नही हो जाता किराये के परिसर से आर-सेटी द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया जा सकता।

संयोजक, एस.एल.बी.सी द्वारा महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक से अलवर में किराये के परिसर से आर-सेटी कार्य प्रारम्भ करने से सम्बन्धित मुद्दा अपने प्रधान कार्यालय से Take up करने हेतु अनुरोध किया गया।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक ने उक्त मुद्दा प्रधान कार्यालय से Take up करने हेतु प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अवगत करवाया कि अलवर जिले में उनकी बैंक द्वारा एक वृहद किसान प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है जिसमें कि कृषकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को सुझाव दिया गया कि उक्त किसान प्रशिक्षण संस्थान में एक अलग विंग बनाकर आर-सेटी प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उक्त हेतु सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक)

राज्य परियोजना समन्वयक, आर-सेटी द्वारा सदन को आर-सेटी द्वारा जून तिमाही तक किये गये कार्य की प्रगति से अवगत करवाया गया। साथ ही उन्होने आर-सेटी प्रशिक्षित लाभार्थियों को क्रेडिट लिंकेज के सन्दर्भ में एस.एल.बी.सी. द्वारा जारी की गये निर्देशों (आर-सेटी निदेशक प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र सम्बन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक को अग्रेषित करेंगें। आर-सेटी निदेशक से प्राप्त आवेदनों को अग्रणी जिला प्रबन्धक सम्बन्धित बैंकों को क्रेडिट लिंकेज हेतु अग्रेषित करेंगें व इसका पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगें जैसा कि उनके द्वारा सरकार प्रायोजित आवेदन पत्रों के मामलों में किया जाता है तथा डी.सी.सी. बैठकों के दौरान बैंकों को अग्रेषित उक्त आवेदन पत्रों की समीक्षा की जायेगी। मुद्रा योजना हेतु आई.बी.ए. द्वारा विकसित कॉमन आवेदन फॉर्म इस हेतु उपयोग किये जा सकते है) की सराहना करते हुए सभी सदस्य बैंकों से इस सम्बन्ध में अपनी शाखाओं को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य परियोजना समंवयक द्वारा किये गये अनुरोध का समर्थन करते हुए सदन को अवगत करवाया गया कि **मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार** द्वारा भी एक बैठक के दौरान आर-सेटी प्रशिक्षार्थियों को क्रेडिट लिंकेज दर कम होने पर चिंता व्यक्त की गई।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैंकों से BPL प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करवाये गये प्रशिक्षण व्यय पुर्नभरण हेतु SRLM को क्लेम प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

महाप्रबन्धक, RSLDC द्वारा आर-सेटी द्वारा उपलब्ध करवायें जा रहे प्रशिक्षण परिदृश्यों से सम्बन्धित मुद्धा उठाते हुए अवगत करवाया गया कि दिनांक 04.08.2015 को RSLDC में सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में प्रबन्ध निदेशक, RSLDC द्वारा सभी आर-सेटी निदेशकों, आर-सेटी प्रायोजक बैंकों के नियंत्रक प्राधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक व राज्य परियोजना समन्वयक, आर-सेटी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आर-सेटी द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित (Align) करने की आवश्यकता दर्शाई गई। उन्होने बताया कि RSLDC के पास लगभग 1.00 लाख पात्र व्यक्तियों के आकंडे है जो कि इन प्रशिक्षणों से लाभांवित हो सकते हैं तथा यदि आर-सेटी का कौशल कैलेंडर समय से तैयार किया जा सके तो उसे RSLDC के कौशल कैलेंडर से संरेखित किया जा सकता है। आर-सेटी द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा प्रशिक्षण डाटा NSQF लेवल के साथ संरेखित (Align) नही है तथा यदि आर-सेटी द्वारा प्रशिक्षार्थियों को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र (National Certificate) उपलब्ध करवाया जाये तो ये लाभार्थियों के लिए काफी फायदेमंद होगा।

उन्होने बताया कि यदि आर-सेटी कौशल प्रशिक्षण हेतु satellite या ब्लॉक लेवल पर उपकेन्द्र खोलने को तैयार होती है, राजस्थान सरकार द्वारा इस हेतु कोष उपलब्ध करवाया जा सकता है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रतिनिधि RSLDC से दिनांक 04.08.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

<u>वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLCs):</u>

राज्य में जून 2015 तक 62 वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किये जाने के बारे में बताया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम मिमाही के दौरान इन केन्द्रों द्वारा 1117 आउटडोर गतिविधियां यथा कैम्प / चौपाल / मिटिंग इत्यादि आयोजित की गई तथा इन गतिविधियों के माध्यम से 54,018 व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गई। इसके अलावा ग्रामीण शाखाओं द्वारा भी प्रतिमाह वित्तीय साक्षरता केन्द्र आयोजित किये जा रहे हैं।

साथ ही वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / एस.एल.बी.सी. द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सदन को अवगत करवाया गया।

सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन केन्द्रों पर एफ.एल.सी. द्वारा कार्य नही किया जा रहा है, सम्बन्धित बैंकों से इस सम्बन्ध में ध्यान देने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही - सम्बन्धित सदस्य बैंक)

<u>क्रमांक - 7: Performance under CGTMSE</u>:

सदन को वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान राज्य में रूपये 183 करोड़ के 2561 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किये जाने के बारे में अवगत करवाया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 8: शिक्षा ऋण</u>: वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही समाप्ति पर शिक्षा ऋण अंतर्गत 61088 खातों में बकाया राशि रु.1496.64 करोड़ रही।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षा ऋण अंतर्गत मासिक आधार पर प्रगति प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में सभी बैंकों से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 9: वसुली - Recovery:</u>

सदन को विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, एम.एस.ई. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत बकाया गैर निष्पादित आस्तियों के बारे में अवगत करवाया गया तथा राज्य सरकार से Public Demand Recovery (PDR) Act में संशोधन, SARFAESI में दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग तथा बैंक खातों में धोखाधडी से सम्बन्धित मामलों में एफ.आई.आर दर्ज करने के सम्बन्ध मे पुलिस विभाग स्तर से समुचित सहयोग की सुनिश्चितता हेतु पुनः अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही - राज्य सरकार)

प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भीलवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना क्रियांवित किये जाने के बारे में सदन को अवगत करवाते हुए सूचित किया गया कि योजनांतर्गत गर्भवती व नर्सिंग महिलायों को 1 से 3 साल की अवधि के दौरान राशि रू. 6,000/- लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते है, किंतु प्रथम किश्त वितरण के पश्चात द्वितीय किश्त वितरण लगभग एक वर्ष के पश्चात प्रेषित के कारण बैंकों द्वारा उक्त खातें निष्क्रिय की श्रेणी में वर्गीकृत कर दिये जाते है, जिससे की लाभार्थी को भुगतान के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होने कुछ बैंकों द्वारा लाभार्थियों के खाते नही खोले जाने की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लाभार्थियों के खाते सुगमता से खोले जाने हेतु अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में **निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते नही खोले जाने के सम्बन्ध में बैंकवार शाखावार विवरण प्रेषित करने हेतु कहा गया तथा बैंकों को खातें खोलने व योजनाओं जिनमें की विभिन्न स्कीमों के तहत लाभ अंतरित किया जाना है उनके खाते एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात भी निष्क्रिय नही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी परिपत्र जारी किया गया है।

प्रतिनिधि, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ग्रामीण गरीबों को आवास हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 88 लाभार्थियों हेतु 70 लाख रू. राजस्थान आवासन मण्डल के टाईअप के तहत यू.आई.टी. भिवाडी को वितरित किये गये थे। निर्माण दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना था किंतु निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नही हो सका है व खाते एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत हो गये हैं।

राज्य सरकार स्तर से सम्बन्धित विभाग प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि किन्ही विशेष कारणों के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ है तथा निर्माण कार्य अब प्रारम्भ हो चुका है।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा भी यू.आई.टी. से सम्बन्धित मामला संज्ञान में लाया गया। उन्होने बताया कि कोटा में उनकी बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है। इन खातों में वसुली नही हो रही है किंतु यू.आई.टी. कोटा व जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहयोग नही किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा भी सूचित किया गया कि राजीव ऋण योजना भी बन्द कर दी गई है तथा बैंक की लाखों रूपये का अनुदान लम्बित है। उन्होने स्कीम को रिवाईव कर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी राज्य सरकार से बैंकों को वसुली में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि बैंकों द्वारा आगे ऋण प्रदान करने में कोई बाधा न रहे।

सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉक स्तर पर आयोजित BLBC बैठकों में तहसीलदार व ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा भाग लेने हेतु सुझाव दिया गया जिससे कि ब्लॉक स्तर के मुद्दों का निपटान हो सके।

बैठक के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बडौदा के कार्यकारी निदेशक द्वारा सभी बैंकों व विभागों से अनुरोध किया गया कि किसी भी मुद्दे के समाधान हेतु एस.एल.बी.सी. मिटिंग आयोजन की प्रतीक्षा नही किये जाकर एस.एल.बी.सी. से अलग से सम्पर्क कर किया जा सकता है, जिससे कि तिमाही आधार पर आयोजित एस.एल.बी.सी. बैठकों के दौरान विकासपरक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सारगामी चर्चा की जा सके।

बैठक का समापन उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****